समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

प्रखंड कार्यालय संग्रामपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज दुर्गापुर, पंचायत में मृत्त भुजंगी मांझी की पत्नी के रूप में उनके पुत्रवधु गायत्री देवी को फर्जी ढ़ग से इंदिरा आवास का लाभ प्राप्त कर राशि की निकासी करने, रोहित मांझी पे0 स्व0 भुजंगी मांझी को वित्तीय वर्ष 2009–10 में अभिलेख संख्या – 18/2009–10 के क्रमांक 31 पर इंदिरा आवास का लाभ देने एवं बिना लिंटल स्तर आवास के निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त द्वितीय किस्त का भुगतान करने एवं एक ही व्यक्ति को दो बार इंदिरा आवास का लाभ देने के कारण अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 09, दिनांक 03.01.2012 के द्वारा निलंबित करते हुए संचालन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर एवं उपस्थापन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को नामित किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक 326, दिनांक 18.02.2013 के द्वारा श्री सिंह का विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध कराया गया। अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 336/पं0, दिनांक 26.07.2013 के द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय अभिलेख को मूल रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को वापस करते हुए विधिवत् प्रपत्र "क" का गठन कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रपत्र "क" उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया गया। जिसके क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक 172 दिनांक 03.02.2014 के द्वारा श्री सिंह, पंचायत सचिव के विरूद्ध विधिवत् प्रपत्र "क" का गठन कर साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया गया। जिसका अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 87/पं0, दिनांक 13.02.2014 के द्वारा विभागीय कार्रवाई हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच एवं उपस्थापन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को नामित किया गया।

अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर के पत्रांक 74, दिनांक 31.05.2014 के द्वारा विभागीय कार्रवाई अभिलेख संख्या 08/2013–14 के द्वारा विभागीय कार्रवाई का संचालन पूर्ण कर अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्रवाई के अभिलेख के अवलोकन एवं विवेचना से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह, पंचायत सचिव के द्वारा स्व0 भुजंगी मांझी के पत्नी के रूप में उसके पुत्रवधु गायत्री देवी को फर्जी ढ़ंग से इंदिरा आवास का आवंटन लाभ प्राप्त कर राशि की निकासी करने, बिना लिंटल स्तर के आवास के निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना इंदिरा आवास का द्वितीय किस्त का लाभ देने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

विभागीय कार्रवाई में आरोप प्रमाणित होने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 386/पं0, दिनांक 26.07.2014 के द्वारा श्री सिंह, पंचायत सचिव से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा श्री सिंह, पंचायत सचिव के द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह, पंचायत सचिव ने द्वितीय कारण पृच्छा में कहा है कि गायत्री देवी पति रोहित मांझी साकिन ललिया दुर्गापुर पंचायत क़े द्वारा कपटपूर्वक सास के नाम पर इंदिरा आवास योजना अभिलेख संख्या 02/2010–11 का राशि प्राप्त किया गया है, रोहित मांझी, ग्राम ललिया को द्वितीय किस्त बिना मेरे

अनुशंसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर के द्वारा देने, एवं मानवीय भूल के कारण अभिलेख तैयार करते समय दोनो अभिलेख पर एक ही नाम दर्ज हो जाने का प्रतिवेदन दिया गया है। श्री सिंह, पंचायत सचिव का द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है। इसी क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर के पत्रांक:–191/ दिनांक:–17.07.2019 के द्वारा श्री सहेन्द्र प्रसाद सिंह, पंचायत सचिव से राशि कुल:–30,000.00 (तीस हजार) रूपये जमा करने की सूचना दी गई है ।

अतः उपरोक्त आरोप प्रमाणित होने के कारण श्री सिंह, पंचायत सचिव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14(iv) के अनुरूप तीन वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्र0 वि0 पदाधिकारी, टेटियाबम्बर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1231 / पं0, दिनांक 04/11/2019

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता विभागीय जाँच, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर/खड़गपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर/संग्रामपुर एवं टेटियाबम्बर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री सहेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन पंचायत सचिव, दुर्गापुर पंचायत (वर्तमान प्रखंड कार्यालय, टेटियाबम्बर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

04/XI/19

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

d:\order sahendra pd singh.docx